बिल का सारांश

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) बिल, 2015

- ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने 24 फरवरी, 2015 को लोकसभा में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) बिल, 2015 पेश किया। बिल भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार एक्ट, 2013 (एलएआरआर एक्ट, 2013) को संशोधित करता है।
- बिल भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के स्थान पर लाया गया है।
- एलएआरआर एक्ट, 2013 उस प्रक्रिया को रेखांकित करता है जिसका अनुपालन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान किया जाता है। बिल द्वारा किए गए प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं:
- एलएआरआर एक्ट, 2013 के समानुरूप अन्य कानूनों के प्रावधानः एलएआरआर एक्ट, 2013 ने अन्य 13 कानूनों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट, 1956 और रेलवे एक्ट, 1989) को अपने दायरे से बाहर रखा था। फिर भी, एलएआरआर एक्ट, 2013 के तहत यह अपेक्षा की गई थी कि एक्ट के लागू होने के एक साल के अंदर (एक जनवरी, 2015 तक) उन 13 कानूनों के मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़े प्रावधानों को एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) के जरिये एक्ट के समानुरूप लाया जाए। बिल इन 13 कानूनों के मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़े प्रावधानों को एलएआरआर एक्ट, 2013 के समानुरूप लाता है।
- प्रयुक्त भूमि की पांच श्रेणियों को विशिष्ट प्रावधानों से छूटः बिल भूमि के इस्तेमाल की पांच श्रेणियों को निर्धारित करता है जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है। ये श्रेणियां हैं: (i) रक्षा,(ii) ग्रामीण अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर), (iii) सस्ते आवास, (iv) औद्योगिक परिक्षेत्र और (v) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित अवसंरचना परियोजना।
- एलएआरआर एक्ट, 2013 के तहत निजी परियोजनाओं के लिए 80% भूस्वामियों और पीपीपी परियोजनाओं के लिए 70% भूस्वामियों की सहमति हासिल करने की अपेक्षा की जाती है। बिल एक्ट के इस प्रावधान से उपरिलिखित पांच श्रेणियों को मुक्त करता है।
- इसके अतिरिक्त, बिल कहता है कि सरकार इन पांच श्रेणियों में आने वाली परियोजनाओं को एक अधिसूचना के जरिये निम्नलिखित प्रावधानों से छूट दे सकती हैः

  (i) एलएआरआर एक्ट, 2013 के तहत अपेक्षा की जाती है कि प्रभावित परिवारों को चिन्हित करने के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण (सोशल इंपैक्ट असेसमेंट) किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण के समय सामाजिक प्रभाव की गणना की जाएगी।

  (ii) एलएआरआर एक्ट, 2013 सिंचित बहुफसल वाली भूमि और दूसरी कृषि भूमि के अधिग्रहण पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए, सिंचित बहुफसल वाली भूमि को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अधिग्रहित नहीं किया जा सकता।
- इस्तेमाल न होने वाली भूमि की वापसीः एलएआरआर एक्ट, 2013 में कहा गया है कि अगर एक्ट के तहत अधिग्रहित की गई भूमि का इस्तेमाल पांच साल तक नहीं किया जाता तो वह भूमि मूल भूस्वामी को या भूमि बैंक में चली जाएगी। बिल कहता है कि इस्तेमाल न होने वाली भूमि को वापस करने की अवधि (i) पांच वर्ष या (ii) परियोजना शुरू करने के समय निर्दिष्ट कोई भी समयावधि होगी। इनमें से जो अवधि बाद की होगी, वही इस स्थिति में लागू होगी।
- पूर्व प्रभाव के विनियोग के लिए समयावधिः एलएआरआर एक्ट, 2013 कहता है कि जिन मामलों में भूमि अधिग्रहण एक्ट, 1894 के तहत निर्णय दिए गए हैं, उन मामलों में वही एक्ट लागू रहेगा। परन्तु, अगर यह निर्णय एलएआरआर एक्ट, 2013 के लागू होने के पांच वर्ष या उससे पहले दिए गए हैं और भूमि का

जोयिता घोष
joyita@prsindia.org
24 फरवरी, 2015

भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है और मुआवजा नहीं दिया गया है, तो एलएआरआर एक्ट, 2013 लागू होगा।

- बिल कहता है कि इस समयावधि की गणना करने में, उस समयावधि को नहीं गिना जाएगा जिसमें अधिग्रहण की कार्यवाही निम्नलिखित की वजह से रुक गई हो: (i) अदालत के स्टे ऑर्डर, या (ii) कब्जा लेने के ट्रिब्यूनल के निर्णय में निर्दिष्ट समयावधि या (iii) उस अवधि जिसमें कब्जा ले लिया गया हो लेकिन मुआवजा अदालत या किसी खाते में जमा हो।
- अन्य परिवर्तनः एलएआरआर एक्ट, 2013 ने निजी अस्पतालों और निजी शिक्षण संस्थानों को अपने दायरे से बाहर रखा था। बिल ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है।
- एलएआरआर एक्ट, 2013 निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण पर लागू होता था, बिल ने इसे बदलकर 'निजी इकाई' के लिए अधिग्रहण कर दिया है। एक निजी इकाई सरकारी इकाई से अलग होती है और इसमें प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, निगम, अलाभकारी संगठन या कानून के तहत आने वाली कोई भी इकाई शामिल हो सकती है।
- एलएआरआर एक्ट, 2013 कहता है कि अगर सरकारी विभाग द्वारा कोई अपराध होता है, तो विभाग के प्रमुख को अपराधी माना जाएगा, जब तक वह यह नहीं दिखाता कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया है या उसने अपराध होने से रोकने के लिए पूरा प्रयास किया। बिल इस प्रावधान में परिवर्तन करता है और कहता है कि अगर अपराध किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया है तो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।